रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 373] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 18, 1986/श्रावण 27, 1908
No. 373] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 1986/SRAVANA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1986

शुद्धि पत्र

सा.का.नि. 1008 :—भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (1) दिनांक 6-12-85 के पृष्ठ 1—5 पर प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 892(अ) दिनांक 6-12-85 पृष्ठ 1 पर नियम 2 उपनियम (1) (य य) के अन्तर्गत लेबल की तीसरी लाइन निम्न रूप से रखी जाये :

मूंगफली का तेल	वजन में प्रतिशत
का सम्मिश्रण है	

[पी. 15014/8/80-पी. एच. (एफ. एण्ड एन.) पी.एफ.ए.]

एस.बी. सुब्रामणियन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 18th August, 1986

CORRIGENDUM

G.S.R 1008 .—In the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) G.S.R. No. 892(E) dated the 6th December, 1985 published at pages 1 to 5 of the Gazette of India, Extraordinary, in Part II, Section 3, Sub-section (1) dated the 6th December, 1985.

1. At page 3, in rule 2, sub-rule(a), in second line, for "it" read "is".

2. At page 4,—

(a) in rule 3 under item A.17.24, in line third, for "propotion" read "proportion" ;

(b) in line 4, for "belend" read "blend" ;

(c) in clause (b) for "that" read "than".

[No. P. 15014|8|80-PH (F&N) PFA]
S. V. SUBRAMANIYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986